

कार्यालय—निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा—माध्य/म.गौ.अनु./पूर्व प्राथमिक—बाल वाटिका/2023/(E File-06255)

दिनांक: यथा हस्ताक्षर

1. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक,
समसा (समस्त)।
2. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय),
माध्यमिक शिक्षा (समस्त)।

विषय:— 962 महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में बाल वाटिकाओं हेतु समग्र पीएबी 2025–26 में स्वीकृत आवर्ती मद अन्तर्गत गतिविधि Manpower Deployment के संबंध में।

प्रसंग:— राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के पत्रांक राजस्कूलशिप/पूर्व प्राथमिक शिक्षा/ef.153–1/2025–26 दिनांक 14.05.2025।

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंगान्तर्गत लेख है शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की समग्र पीएबी 2025–26 में 962 महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में संचालित बाल वाटिकाओं में अनुमोदित गतिविधि Manpower Deployment जिसके अन्तर्गत राज्य के 962 महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में संचालित बाल वाटिकाओं में 01 ECCE Caretaker & 01 Cleaning Resource उपलब्ध करवाये जाने है। उक्त गतिविधि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद कार्यालय जयपुर द्वारा जारी की जानी है। महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, जिनमें बालवाटिकाएं संचालित है, में केयरटेकर सहित अन्य सहयोगी स्टॉफ लगाये जाने के बारे में विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 13.06.2025 द्वारा निविदा प्रक्रिया/की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में दिशा-निर्देश पूर्व में ही जारी किये जा चुके है। अतः उसी अनुसार महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में बालवाटिकाओं के संचालन हेतु केयरटेकर एवं सफाईकर्मी मैनुपावर की व्यवस्था सुनिश्चित करावे।

Major component	Sub component	Activity master	R/ NR	Unit cost	Physical	Financial	Brief
Foundation ai literacy and Numeracy (FL&N)-FS	Support at pre-primary education	Manpower Deployment 01 ECCE Caretaker=10000/- 01 Cleaning service=5000/- for Balvatikas Total 15000x10 months = 1,50,000/- (962 Balvatikas)	NR	1.500 00	962	1443.0000	Manpower deployment for pre primary sections involves allocation for caretakers and cleaning staff to ensure a safe and nurturing learning environment.
Total						1443.0000	

तथा इस संबंध में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद कार्यालय जयपुर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी होने के उपरान्त आवश्यक कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करावे एवं प्रगति से इस कार्यालय को अवगत करवाना सुनिश्चित करावे।

(सीताराम जाट)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर एवं पदेन
अति. राज्य परि. निदेशक(वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान(समसा)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
4. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग राजस्थान जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा **(समस्त सम्भाग)**
6. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा **(समस्त)**।
7. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (संबंधित जिला)
8. रक्षित पत्रावली।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर एवं पदेन
अति. राज्य परि. निदेशक(वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान(समसा)

Signature Not Verified

Digitally Signed by SITA
RAM JAT
Designation : Director
Date :10-07-2025 09:07:47

कार्यालय—निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा—माध्य/म.गाँ.अनु./प्रभाग—ब/पूर्व प्राथमिक/2023-24/09141 पार्ट—1

दिनांक: यथा हस्ताक्षर

1. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय),
माध्यमिक शिक्षा (समस्त)।
2. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा (समस्त)।

विषय:— महात्मा गाँधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक/बाल वाटिका कक्षाओं के संचालन हेतु सहयोगी स्टाफ को लगाए जाने के सम्बन्ध में।

प्रसंग:— 1. पत्रांक:शिविरा/माध्य/बजट/बी-4/25611/2025-26 दिनांक: 15.05.2025
2. पत्रांक:शिविरा/माध्य/बजट/बी-4/25611/2025-26 दिनांक: 15.05.2025

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निदेशालय के प्रासंगिक पत्र दिनांक: 15.05.2025 (प्रति संलग्न) के द्वारा संबंधित 977 महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक “बाल वाटिका” कक्षाओं के संचालन हेतु प्रति विद्यालय निम्नानुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (प्राथमिक कक्षा) तथा सफाई कर्मी की सेवाएं सेवा प्रदाता के माध्यम से लिये जाने हेतु बजट जारी किया जाकर व्यय की अनुमति प्रदान की गई है :-

S.No.	Services	No. of Service	
1	Peon for Primary Classes	1	According to FD Circular Dt. 30.04.2018 or Home Guard/REXCO
2	Cleaning Services	1	According to FD Circular Dt. 30.04.2018

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रासंगिक पत्र दिनांक: 15.05.2025 (प्रति संलग्न) के द्वारा वर्ष 2019 में 33 जिला मुख्यालय पर स्वीकृत किये गये संचालित संबंधित महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के संचालन हेतु प्रति विद्यालय निम्नानुसार सेवाएं संविदा के माध्यम से लिये जाने हेतु बजट जारी किया जाकर व्यय की अनुमति प्रदान की गई है :-

S.No.	Services	No. of Service	मासिक भुगतान प्रति विद्यालय
1	केयर टेकर	2	वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर का परिपत्र क्रमांक: एफ.2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक: 30.04.2018 में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार भुगतान किया जायें।
2	चतुर्थ श्रेणी कार्मिक (प्राथमिक कक्षा हेतु)	1	
3	सफाई कर्मचारी	1	
4	गार्ड	1	
TOTAL		5	

प्रासंगिक पत्रों दिनांक: 15.05.2025 के द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के क्रम में संबंधित 977+33 महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक/बाल वाटिका कक्षाओं के संचालन हेतु स्वीकृत बजट अनुसार उपरोक्तानुसार सहयोगी स्टाफ की सेवाएं सेवा प्रदाता फर्म के माध्यम से अब तक विद्यालय प्रशासन की ओर से जॉब बेसिस पर नहीं ली गई है, ऐसे समस्त विद्यालयों की सूचना इत्यादि संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा द्वारा इकजाई की जाकर, ADPCकार्यालय को उपलब्ध करवाई जायेगी।

तदोपरान्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा कार्यालय द्वारा जिशिअ (मु.) माध्यमिक कार्यालय से प्राप्त महात्मा गाँधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के संचालन के लिए उक्तानुसार सहयोगी स्टाफ की सेवाएँ लिए जाने हेतु वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.04.2018 के प्रावधानों के अनुसार अथवा Home Gaurd/REXCO(जो भी लागू हो) से लिए जाने हेतु एकजाई टेण्डर प्रक्रिया की जावे तथा प्रासंगिक पत्रों दिनांक: 15.05.2025 में दिए गए निर्देशों की पालना करते हुए भुगतान की कार्यवाही सम्बन्धित संस्था प्रधान/यूसीईईओ/पीईईओ के द्वारा की जाएगी।

उपर्युक्त कार्यवाही निम्नानुसार समयबद्ध रूप से सम्पन्न की जाए :-

क्र.सं.	किए जाने वाले कार्य का विवरण	दिनांक
1	जिला शिक्षा अधिकारी (मु.), माध्यमिक द्वारा विद्यालयों की समेकित सूची एवं टेण्डर डाक्यूमेंट्स तैयार कर एडीपीसी कार्यालय को भिजवाना	08.07.2025 तक
2	टेण्डर डॉक्यूमेंट्स संबंधित पोर्टल पर अपलोड करना व समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित करवाना	16-07-2025 तक
3	निविदा खोले जाने की तिथि	23-07-2025 तक
4	आदेश जारी करना	31-07-2025 तक

उक्त कार्यक्रमानुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण करते हुए निदेशालय को नियमित रूप से प्रगति से अवगत कराया जाए।

संलग्न:-उपर्युक्तानुसार।

(आशीष मोदी)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर एवं पदेन
अति. राज्य परि. निदेशक(वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान(समसा)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा (समस्त सम्भाग)/उप निदेशक (महात्मा गाँधी विद्यालय), कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा (समस्त) को प्रबोधन करते हुए अद्यतन स्थिति से अवगत कराने हेतु।
5. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा (समस्त)।
6. अनुभाग अधिकारी, बजट अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. प्राचार्य/संस्था प्रधान, महात्मा गाँधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)/राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय (संबंधित) को पालनार्थ प्रेषित है।

उप निदेशक(महात्मा गाँधी विद्यालय)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर